



Case No. 40/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/SER-981/JH/55/2023-RO-RNC-RU-IV

डॉ. राज कुमार

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स),

बारियातु, राँची, झारखंड - 834009

E.mail: directorrimsranchi@gmail.com

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 28/03/2025 को 02:00 P.M बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

- संदर्भ 1 (i) अभ्यावेदिका श्रीमती प्रेमलता माईकल तिकी, परिचारिका श्रेणी ग्रेडए -, रिम्स हॉस्पिटल, बारियातू, राँची, से प्राप्त अभ्यावेदन "परिचारिका महाविद्यालय, रिम्स, राँची के उप प्राचार्य सह प्रभारी प्राचार्य द्वारा जातिसूचक एवं हीनकरूप भावना पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने एवं मानसिक से प्रताड़ित करने के संबंध में
- (ii) आयोग का सीटिंग नोटिस दिनांक 15.01.2025 और 18.02.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 19/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

मोहर



Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

Copy to:- NLC for uploading